(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 08 / 2019

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2019 / 00022

बउनवान

1. पूरीलाल पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
2. प्रेमचंद पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
3. कैलाशचंद पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
4. गुलाबबाई पत्नी श्री हीरालाल निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
5. धनराज पुत्र श्री नामालुम (नाबालिग) निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
6. चाईना पुत्री श्री नामालुम (नाबालिग) निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
7. चन्द्रकंला पत्नी श्री नानूराम मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
8. राकेश पुत्र श्री रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
9. मुकेश पुत्र श्री रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
10. दीपू बाई पुत्री रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
11. धापू बाई पत्नी श्री रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(मृतक)

1/1 कालू पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(राज.)

1/2 राजू पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(राज.)

1/3 मुरली पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(राज.)

1/4 बीरम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(राज.)

1/5 मंजू बाई पुत्री श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(राज.)

1/6 बरधी बाई पत्नी श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां(राज)

2. रामनाथ पुत्र श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. रामकल्याण पुत्र श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
4. पुष्पाबाई पुत्री श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
5. रामकन्या बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
6. रतन लाल पुत्र श्री मांग्या जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
7. घांसीलाल पुत्र श्री मांग्या जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
8. कन्हैया लाल पुत्र श्री मांग्या जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
9. राज. सरकार जरिये नायब तहसी[illegible] छीपाबड़ौद [illegible] छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इ[illegible]ल संख्या 134 दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम टाकूडा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अ[illegible], 1956

उपस्थित :– 1– श्री संज[illegible]ागर अभिभाषक		([illegible]पीलांटगण)
	2– श्री गोविंद मुरारी गौतम अभिभाषक	(रेस्पो. क्र.1 ता 8)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पो. क्रम 9)

निर्णय दिनांक 27.03.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 134 दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम टाकूडा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 22.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई जिसके प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 01 ता 08 के द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 09 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे रेस्पो. क्रम 01 ता 08 के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसकी एक फोटोप्रति अपीलांटगण के अभिभाषक को उपलब्ध करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि ग्राम टाकूडा तहसील छीपाबड़ौद में स्थित आराजियात खसरा नं. 97 की रकबा 49 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में अपीलांटगण के पिता हीरा व काका मांग्या जाति चमार के हिस्सा 1/13 दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांटगण के काका मांग्या लाऔलाद फौत हो चुके है और फोत होने पर उनका फौती इंतकाल संख्या 134 से रेस्पो. क्रम 09 द्वारा निर्णित किया गया है जो निम्न कारणों से निरस्त होने योग्य है–

1. अपीलांटगण के पिता हीरा व काका मांग्या के अपीलांटगण वारिसान है जबकि उक्त इंतकाल संख्या 134 में हीरा व मांग्या के वारिसान रेस्पो. क्रम 01 ता 8 दर्शाये गये है, जो गलत है। हीरा व मांग्या के जायज वारिसान अपीलांटगण ही है लेकिन रेस्पो. क्रम 09 द्वारा मृतक हीरा व मांग्या के वारिसान की सही जांच नहीं करके विधिविरूद्ध तरीके से इंतकाल निर्णित किया है जो निरस्तनीय है।
2. रेस्पो. क्रम 1 ता 8 का अपीलांटगण में वर्णित आराजियात से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, न हीं अपील में वर्णित आराजियात में कभी कोई रेस्पो. के पिता व रेस्पो. का कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि हीरा व मांग्या के स्वर्गवास के बाद से हीं अपीलांटगण ही उक्त आराजियात काबिज काश्त करते चले आ रहे है जो वर्तमान में भी काबिज काश्त है।
3. ग्राम टाकूडा की आराजियात खसरा नं. 95 की 15 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 96 की रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 98 की रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा में अपीलांटगण के पिता हीरा व मांग्या का 1/13 हिस्सा दर्ज जमाबंदी था तथा हीरा व मांग्या का स्वर्गवास होने के बाद उनका फौती इंतकाल संख्या 225 ग्राम टाकूडा ग्राम पंचायत भावपुरा द्वारा निर्णित किया गया है जिसमें हीरालाल व मांग्या के वारिसान अपीलांटगण को दर्ज किया है तथा उक्त इंतकाल विधिसम्मत तरीके से निर्णित किया गया है लेकिन इंतकाल सं. 134 को निर्णित करने में रेस्पो. क्रम 09 द्वारा भारी त्रुटि की गई है।
4. इंतकाल सं. 134 दिनांक 17.12.2004 का सर्वप्रथम ज्ञान अपीलांटगण को दिनांक 05.04.2019 को होने पर अपीलांटगण ने नकल पटवारी पटवार हल्का से प्राप्त करने का आवेदन करने पर दिनांक 08.04.2019 को नकल प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 134 ग्राम टाकूडा निरस्त किया जाकर रेस्पो. क्रम 09 के नाम आदेश फरमाया जावें कि मृतक खातेदारान हीरा व मांग्या का पुनः फौती इंतकाल अपीलांटगण के पक्ष में खोलने का आदेश फरमाया जावें।

रेस्पो. क्रम 01 ता 08 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम टाकुडा में इंतकाल संख्या 134 तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा दिनांक 17.12.2004 को निर्णित किया गया था जबकि अपीलांटगण के द्वारा अपील मेमो में उक्त इंतकाल 134 को तथ्य छिपाकर अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य हैं। अपीलांटगण वे रेस्पोडेन्टगण एक हीं गावं गणेशपुरा के निवासी है और उक्त गणेशपुरा गांव को राजस्व रेकार्ड में भवानीपुरा के नाम से जाना जाता है। अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण एक हीं जाति मेघवाल के

सदस्य है व ग्राम भवानीपुरा में अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण की अपने–अपने नाम से आराजी दर्ज है जिसमें अपीलांटगण के पिता का नाम हीरालाल पुत्र नारायण दर्ज है जिनकी मृत्यु दिनांक 03.03.2006 को हो चुकी है। उक्त हीरालाल पुत्र नारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत लिखित बहस के साथ संलग्न है। हीरालाल पुत्र नारायण मेघवाल के वारिसान में अपीलांटगण को दर्शाया गया है व अपीलांटगण के नाम इसी प्रकार ग्राम भवानीपुरा की आराजी में फोती इंतकाल संख्या 242 (प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है) खोलकर तस्दीक कर दिया गया है।

रेस्पोडेन्टगण की आराजी भी ग्राम भवानीपुरा में भी है व उसके पिता का नाम हीरा पुत्र भैरू चमार था व उनके काका का नाम मांग्या पुत्र भैरू चमार था। उक्त हीरा व मांग्या पुत्रगण भैरू चमार का फौती इंतकाल संख्या 212 (प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है) ग्राम भवानीपुरा खोलकर दिनांक 10.12.2004 को माननीय तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद के द्वारा निर्णित कर दिया गया था जिसमें हीरा पुत्र भैरू का फौत होना सन् 2002 में बताया गया है व हीरा के वारिसान के रूप में रेस्पो. क्रम 1 ता 5 बताये गये है और मांग्या पुत्र भैरू चमार का फौत होना सन् 1997 में बताया गया है जिसके वारिसान के रूप में रेस्पो. क्रम 06 ता 08 को बताया गया है जो कि सही है। जबकि अपील में अपीलांटगण के द्वारा मांग्या को लाऔलाद बताकर तथ्य छिपाकर अवैध तरीके से अपील पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है।

अपीलांटगण के ग्राम टाकुडा में अपने नाम से कोई आराजी नहीं है। वहां भी रेस्पोडेन्टगण के मृतक पिता हीरा व मांग्या पुत्र भैरू चमार के नाम से आराजी चली आ रही है। जिसमं अपीलांटगण द्वारा ग्राम टाकुडा के इंतकाल संख्या 225(प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है) को खुलवाकर व पटवार हल्का तथा ग्राम पंचायत भावपुरा से तथ्य छिपाकर निर्णित करवाया गया था व उसका मुआवजा राशि का चैक भी अपीलांटगण के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। उक्त इंतकाल संख्या 225 ग्राम टाकुडा की खारिजी की एक अपील माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. कार्यालय छीपाबड़ौद में जैरकार है।

अपीलांटगण की ग्राम टाकुडा में कोई आराजी नहीं है। उनकी मात्र ग्राम भवानीपुरा में ही आराजी है व अपीलांटगण के पिता का नाम हीरालाल पुत्र नारायण मेघवाल है व अपीलांटगण के पूर्वजों में मांग्या नाम का कोई व्यक्ति नहीं है जबकि उक्त अपील में मांग्या को अपीलांटगण के द्वारा अपना काका बताकर लाऔलाद बताया गया है जो मात्र तथ्य छिपाकर अवैध तरीके से अपील पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है।

रेस्पो. की ग्राम टाकुडा व ग्राम भवानीपुरा में आराजी है जिस पर निरंतर बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो. के पिता का नाम मांग्या पुत्र भैरू व हीरा पुत्र भैरू चमार है व उक्त हीरा व मांग्या दोनो के हीं औलाद है। अपीलांटगण के पिता का नाम हीरालाल पुत्र नारायण मेघवाल था, हीरा नहीं था जबकि रेस्पोडेन्टगण के पिता का नाम हीरा व मांग्या पुत्र भैरू चमार था इसलिये उक्त अपील खारिज होने योग्य है।

उक्त इंतकाल सं. 134 दिनांक 17.12.2004 को तस्दीक किये हुये लगभग 21 वर्ष हो चुके है। अपीलांटगण के द्वारा उक्त आराजी में लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत क्षम्य नहीं है क्योंकि 21 वर्षों से अपीलांटगण को उक्त इंतकाल का ज्ञान था। वे जानते थे कि उक्त आराजी ग्राम टाकुडा में उनकी नहीं है बल्कि रेस्पोडेन्टगण की है। इसलिये उक्त अपील लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानोसं के अंतर्गत भी खारिजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अपील को पेश करने से [illegible]डेन्टगण को 2019 से अभी तक उक्त भूमि अवाप्ति का मुआवजा चैक [illegible] की आराजी होने के बाद भी अपीलांटगण के द्वारा बिना किसी [illegible] अपने नाम करवाने व न्यायालय को गुमराह करने का काम किया गया है। उक्त अपील से रेस्पोडेन्टगण को भारी आर्थिक हानि हुई है। अतः निवेदन है कि उक्त अपील खारिज फरम[illegible] व अपीलांटगण के खिलाफ ऐसा आदेश फरमावे जिससे अपीलांटगण के द्वारा ऐसा कृत्य करना व झूठी अपील पेश कर गरीब काश्तकारों के मुआवजों को रूकवाना जिससे गरीब रेस्पो. को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति अपीलांटगण करें एवं अपीलांटगण द्वारा झूठी अपील पेश करने, न्यायालय को गुमराह करने, न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए अपीलांटगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश सक्षम अधिकारियों को दिए जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 134 दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम टाकूडा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि हीरा व मांग्या जाति चमार के फौत होने पर उक्त इंतकाल उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया है।

अपीलांटगण के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अपीलांटगण के काका मांग्या लाऔलाद फौत हो चुके है और फोत होने पर उनका फौती इंतकाल संख्या 134 रेस्पो. क्रम 09 द्वारा निर्णित किया गया है। अपीलांटगण के पिता हीरा व काका मांग्या के अपीलांटगण वारिसान है जबकि उक्त इंतकाल संख्या 134 में हीरा व मांग्या के वारिसान रेस्पो. क्रम 01 ता 8 दर्शाये गये है, जो गलत है। हीरा व मांग्या के जायज वारिसान अपीलांटगण ही है लेकिन रेस्पो. क्रम 09 द्वारा मृतक हीरा व मांग्या के वारिसान की सही जांच नहीं करके विधिविरूद्ध तरीके से इंतकाल निर्णित किया है जो निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण एक हीं जाति मेघवाल के सदस्य है व ग्राम भवानीपुरा में अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण की अपने–अपने नाम से आराजी दर्ज है जिसमें अपीलांटगण के पिता का नाम हीरालाल पुत्र नारायण दर्ज है जिनकी मृत्यु दिनांक 03.03.2006 को हो चुकी है। उक्त हीरालाल पुत्र नारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत लिखित बहस के साथ संलग्न है। हीरालाल पुत्र नारायण मेघवाल के वारिसान में अपीलांटगण को दर्शाया गया है व अपीलांटगण के नाम इसी प्रकार ग्राम भवानीपुरा की आराजी में फोती इंतकाल संख्या 242 (प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है) खोलकर तस्दीक कर दिया गया है।

रेस्पोडेन्टगण की आराजी भी ग्राम भवानीपुरा में भी है व उसके पिता का नाम हीरा पुत्र भैरू चमार था व उनके काका का नाम मांग्या पुत्र भैरू चमार था। उक्त हीरा व मांग्या पुत्रगण भैरू चमार का फौती इंतकाल संख्या 212 (प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है) ग्राम भवानीपुरा खोलकर दिनांक 10.12.2004 को माननीय तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद के द्वारा निर्णित कर दिया गया था जिसमें हीरा पुत्र भैरू का फौत होना सन् 2002 में बताया गया है व हीरा के वारिसान के रूप में रेस्पो. क्रम 1 ता 5 बताये गये है और मांग्या पुत्र भैरू चमार का फौत होना सन् 1997 में बताया गया है जिसके वारिसान के रूप में रेस्पो. क्रम 06 ता 08 को बताया गया है जो कि सही है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 134 दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम टाकूडा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां हीरा व मांग्या जाति चमार के फौत होने पर उक्त इंतकाल उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा मृतक हीरा व मांग्या के पिता का नाम नारायण अथवा भैरू क्या था, इस सम्बन्ध मे किसी भी सम्वत् की जमाबन्दी आदि प्रस्तुत नही की गई है। इंतकाल दर्ज किया जाना एक समरी प्रक्रिया है जिसमें किसी मृतक व्यक्ति के वारिसान के हक का निर्धारण नहीं किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा तस्दीकी इंतकाल में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा सुरे हजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ